

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

वि. लक्ष्मी विपक्षी पुरसा
 म. मुकदमा 212/21/21 पत्रावली संख्या 38/20 सन्

मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
------	-----------------	---

18/8/20

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हाकर पेश हुई।
 प्रति. विपक्षी रिप्लो. को जिरिये सम्मन
 सिटिस तल्लु किये जाकर पत्रावली चाद
 तल्लुको दिनांक 25/8/20 का पेश हो।

सहायक कलेक्टर
 (SDO) मावली

25/8/20

पत्रावली का पेश 5/11
 दि. 1/10/20 को पेश किया गया
 श्री लक्ष्मी लाल रेगु. उपा. हाकर पत्रावली
 का जवाब (पत्रावली) जमा किया गया
 पाठ्य पत्रावली दिनांक 21/9/20
 को पेश किया गया

2/9/20

पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त
 उक्त पत्रावली उपा. विपक्षीगण द्वारा
 पत्रावली का पेश किया गया
 दिनांक 1/11/20 पत्रावली वास्तु
 का पत्रावली दिनांक 11/11/20 को पेश किया गया

11/11/20

पत्रावली पेश हुई। कार्यालय पार्टी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/समाज कार्यकर्ता/दीलालीने
 अधिकारी महो. द्वारा पत्रावली जमा/सिटिस
 में पधारें है। पत्रावली को पालना में
 दिनांक 10/2/21 को पेश हो।

विपक्षीगण का
 पत्रावली पेश
 जमा किया गया
 दिनांक 1/11/20



10/2/21

पत्रावली पेश हुई। आधि. उभय पक्षद्वारा उपा.
वादी द्वारा c/c मा जवाब देना चाहा। पत्रावली
वास्ते c/c जवाब दिनांक 11/5/21 को
पेश हो



11/5/21

पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को
देखते हुए बार एंटीविशुन द्वारा अतिआवश्यक प्रक्रिया
के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देना के
के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी।
अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 7/9/21 को पेश हो।

7/9/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपरिथत/पीछसीन
अधिकारी गहो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....को पेश हो।

21/12/21

21/12/2021

पत्रावली प्रशासन गौरी के संग अखियान-2021
कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। मूल वाद आज
दिनांक को फैसल किया जा चुका है। अतः मूल
वाद फैसल हो जाने से अब इस पत्रावली में
कोई कार्यवाही कोष नहीं रहती है। अतः प्रकरण
को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमाट होकर नम्बर से ऊपर है।
निर्णय सुनाया गया।

11/12/21